

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 2024 / 2011.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मैसर्स विशाल रिटेल लिमिटेड, जयपुर बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर 2. सीटीओ प्रतिकरापवंचन,राज.-II, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम-सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल मालवीय-सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विद्वाल बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित न्यू एमेनेस्टी स्कीम, 2017 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अपील को विद्वाल करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 2024 / 2011 / जयपुर जरिये विद्वाल खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">↓ सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p style="text-align: center;">↓ सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	